राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 71/2025 दायर दिनांक 02.12.2025

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र पन्नालाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
2. प्यारी पत्नी पन्नालाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
3. हगामी पुत्री पन्नालाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
4. शान्तिलाल पुत्र पन्नालाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
   - 4.1 नाबालिग सागर पुत्र शान्तिलाल संरक्षक माता राधा पत्नी शान्तिलाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
   - 4.2 नाबालिग अंजली पुत्री शान्तिलाल संरक्षक माता राधा पत्नी शान्तिलाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
   - 4.3 ललिता पुत्री शान्तिलाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
   - 4.4 लक्ष्मी पुत्री शान्तिलाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
   - 4.5 नाबालिग मुस्कान पुत्री शान्तिलाल संरक्षक माता राधा पत्नी शान्तिलाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
   - 4.6 राधा पत्नी शान्तिलाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 01. पैरोकार तहसीलदार।
02. एकपक्षीय – प्रतिवादीगण

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 12/02/2026

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने [illegible] धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवीनिवास पटवार मण्डल [illegible] तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 220/175 रकबा 0.2428 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी व आराजी नम्बर 221/180 रकबा 0.2266 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी कुल किता 2 रकबा 0.4694 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम [illegible] व खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। प्रतिवादी सं. 04 [illegible] पुत्र पन्नालाल भील की मृत्यु होने से उसके वारिसान को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। उक्त वर्णित आराजी नम्बर आराजी नम्बर 220/175 रकबा 0.2428 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी व आराजी नम्बर 221/180 रकबा 0.2266 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी कुल किता 2 रकबा 0.4694 हैक्टेयर भूमि में खातेदारों की मौके पर काश्त नहीं हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नही किया गया। प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं कर आराजी नम्बर 220/175 रकबा 0.2428 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी व आराजी नम्बर 221/180 रकबा 0.2266 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी कुल किता 2 रकबा 0.4694 हैक्टेयर भूमि पर मौके पर खनन कार्य होकर वर्तमान में मौके पर रलाव पड़ा होने से यह प्रतीत होता हैं कि खातेदारान सद्भावी कृषक नहीं हैं।

अतः प्रतिवादीगण को ग्राम देवीनिवास की आराजी नम्बर 220/175 रकबा 0.2428 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी व आराजी नम्बर 221/180 रकबा 0.2266 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी कुल किता 2 रकबा 0.4694 हैक्टेयर भूमि से बेदखल किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण को नोटिस/ रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाई गई। जो शामील पत्रावली हैं। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। जिसका अंकन ऑर्डरशीट पर किया हैं।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में मौका पर्चा ग्राम देबीनिवास का प्रस्तुत किया हैं, ग्राम देबीनिवास की जमाबन्दी नकल संवत् 2076–2079 पेश की हैं।

लगातार पेज संख्या 03 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रकरण में वादी ने पी–डब्ल्यू– 1 ममता पंकज पिता मांगीलाल धोबी नि0 कोटा (हाल मुकाम बिजौलियां) पेशा नौकरी के बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली हैं।

पी–डब्ल्यू–1 ममता पंकज पिता मांगीलाल धोबी नि0 कोटा (हाल मुकाम बिजौलियां) पेशा नौकरी ने अपने बयान में लिखाया कि मेरे द्वारा दिनांक 18.11.2025 को मौका पर्चा बनाया गया। मौका पर्चा के सभी तथ्य सही हैं। तहसीलदार महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 18.11.2025 को ग्राम देवीनिवास के आराजी नम्बर 220/175 रकबा 0.2428 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी व आराजी नम्बर 221/180 रकबा 0.2266 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी भूमि का मौका पर्चा मेरे द्वारा बनाया गया। जिस पर मेरे हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त आराजी में खनन कार्य होकर वर्तमान में मौके पर रलाव पड़ा हुआ हैं। उक्त आराजी का उपयोग कृषि हेतु नहीं किया जाकर अन्य प्रयोजन हेतु किया जा रहा हैं।

उक्त प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादीगण प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण को बहस में रखा गया।

प्रकरण में पैराकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पैराकार सरकार की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। उक्त प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं वादी के बयान के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

–: आदेश :–

अतः मौजा ग्राम देवीनिवास पटवार मण्डल कास्यां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 220/175 रकबा 0.2428 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी व आराजी नम्बर 221/180 रकबा 0.2266 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी कुल किता 2 रकबा 0.4694 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 12/02/**2026** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 71/2025 दायर दिनांक 02.12.2025

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

...डिक्रीदार

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र पन्नालाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
2. प्यारी पत्नी पन्नालाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
3. हगामी पुत्री पन्नालाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
4. शान्तिलाल पुत्र पन्नालाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा

4.1 नाबालिग सागर पुत्र शान्तिलाल संरक्षक माता राधा पत्नी शान्तिलाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा

4.2 नाबालिग अंजली पुत्री शान्तिलाल संरक्षक माता राधा पत्नी शान्तिलाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा

4.3 ललिता पुत्री शान्तिलाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा

4.4 लक्ष्मी पुत्री शान्तिलाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा

4.5 नाबालिग मुस्कान पुत्री शान्तिलाल संरक्षक माता राधा पत्नी शान्तिलाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा

4.6 राधा पत्नी शान्तिलाल जाति भील सा. मोगरवासा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा

........मदयूनान

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 12/02/2026

डिक्री दिनांक : 12/02/2026

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

—: डिक्री :—

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार एवं प्रतिवादीगण एकपक्षीय के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :—

मौजा ग्राम देवीनिवास पटवार मण्डल कास्यां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 220 / 175 रकबा 0.2428 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी व आराजी नम्बर 221 / 180 रकबा 0.2266 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी कुल किता 2 रकबा 0.4694 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ तहरीर जारी हो। डिक्री मूर्तिब की गई। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे।

नीज ....Nil..............................मुबलिग .... Nil ....

बाबत् .... Nil ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....

फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....

का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 02 वर्ष 2026 को जारी किया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुदई	रूपया	पैसे		मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान				स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां